न्यायालयः– प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग–1 रायसेन के न्यायालय के अतिरिक्त व्यवहार न्यायाधीश सिलवानी जिला रायसेन म.प्र.
समक्ष– कमलेश कुमार सोनी

व्यवहार वाद क्र. 01ए/2018
फा.नं. आर.सी.एस.ए. 1/2018
सी.एन.आर.नंबर एम.पी.38090000092018
प्रस्तुति दिनांक 02/01/2018
संस्थित दिनांक 08/01/2018

1. विनोद कुमार पिता रामलाल रघुवंशी, उम्र करीब 47 वर्ष,
निवासी ग्राम कुंअर पिपलिया पो. चीचली,
तहसील सिलवानी जिला रायसेन म.प्र.

.... वादी

–: विरूद्व :–

1. राजेन्द्र कुमार रघुवंशी पिता रामलाल रघुवंशी,
उम्र करीब 42 वर्ष,
निवासी सियरमउ रोड सिलवानी तहसील सिलवानी जिला रायसेन म.प्र.
2. म.प्र. शासन द्वारा जिलाधीश रायसेन जिला रायसेन म.प्र.

................प्रतिवादीगण

:: आदेश ::
(आज दिनांक 17/12/2018 को पारित किया गया)

1– इस आदेश द्वारा वादी एवं प्रतिवादी क्र.1 की ओर से प्रस्तुत संयुक्त राजीनामा आवेदन अंतर्गत आदेश 23 नियम 3 व्य.प्र.स. का निराकरण किया जा रहा हैं।

2– वादी द्वारा प्रतिवादी के विरूद्व ग्राम कुंअर पिपरिया स्थित बाड़ा खसरा क्र. 119/2 रकवा 0.10 एकड़ भूमि के 1/2 भाग के संबंध में विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम 1963 की धारा 6 के तहत कब्जे के प्रत्युद्धरण या कब्जे की वापसी की सहायता बावत वाद प्रस्तुत किया गया है।

3– प्रकरण में महत्वपूर्ण तथ्य यह हैं कि वादी विनोद कुमार एवं प्रतिवादी राजेन्द्र कुमार के मध्य उक्त वादग्रस्त भूमि के संबंध में आपसी समझौता हो जाने से समझौता आवेदन प्रस्तुत किया गया है तथा वादी एवं प्रतिवादी द्वारा समझौता आवेदन में उक्त वादग्रस्त भूमि का आपस में बंटवारा करा लेने एवं दावा निरस्त करने एवं प्रकरण की कार्यवाही इसी स्तर पर समाप्त करने पर सहमत होना व्यक्त किया गया है एवं तत्संबंध में वादी विनोद कुमार तथा प्रतिवादी क्र.1 राजेन्द्र सिंह के राजीनामा कथन भी लेख किये गये हैं तथा राजीनामा कथन में भी उभयपक्ष ने उक्त बात पर सहमत होना व्यक्त किया है तथा प्रकरण में महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि प्रतिवादी क्रं.2 म.प्र.शासन के विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही की गई है।

4– वादी विनोद कुमार एवं प्रतिवादी क्र.1 राजेन्द्र कुमार की ओर से आपसी

समझौता पत्र प्रस्तुत किया गया हैं तथा उक्त समझौते में विधि के प्रावधान का कोई उल्लघंन नहीं होता हैं। प्रस्तुत राजीनामा विधि सम्मत होकर स्वेच्छया बिना किसी भय दबाव व लालच के उभयपक्ष के बीच किया जाना प्रतीत होता हैं। अतः उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत आवेदन अंतर्गत आदेश 23 नियम 3 व्य.प्र.स. स्वीकार कर निम्न आशय की आज्ञप्ति पारित की जाती हैं–

1. वादी विनोद कुमार की ओर से ग्राम कुंअर पिपरिया स्थित बाड़ा खसरा क्र. 119/2 रकवा 0.10 एकड़ के 1/2 भाग के संबंध में विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम 1963 की धारा 6 के तहत कब्जे के प्रत्युद्धरण या कब्जे की वापसी की सहायता बावत प्रस्तुत वाद या दावा निरस्त किया जाता है।

2. उभयपक्ष की ओर से प्रस्तुत समझौता आवेदन इस आदेश का भाग होगा जो संलग्न किया जावें ।

3. उभयपक्ष अपना अपना वाद व्यय स्वयं वहन करेगें ।

4. अभिभाषक शुल्क प्रमाण पत्र अनुसार या सूची अनुसार जो भी न्यून देय हो ।

5– तदानुसार डिक्री बनाई जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में घोषित कर हस्ताक्षरित एवं दिनांकित किया गया ।	मेरे निर्देश पर टंकित किया ।
(कमलेश कुमार सोनी) प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग–1 रायसेन के न्यायालय के अतिरिक्त व्यवहार न्यायाधीश सिलवानी जिला रायसेन म.प्र.	(कमलेश कुमार सोनी) प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग–1 रायसेन के न्यायालय के अतिरिक्त व्यवहार न्यायाधीश सिलवानी जिला रायसेन म.प्र.